इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2013-आषाढ 12, शक 1935

#### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. एफ. 1(ए) 12-2010-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में, मद क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

विभाग का	सेवा का नाम	पदों की कुल	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		अन्य सेवा के
नाम			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों के	व्यक्तियों के अस्थाई
		संख्या	[नियम (6) क]	पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण द्वारा
				[नियम (6) ख]	[नियम (6) ग]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	''4. सहायक श्रम	11	_	१०० प्रतिशत	_
	आयुक्त.			(सहायक श्रम आयुक्त के	
	•			मात्र ०१ पद पर पदोन्नति	
				विधि अधिकारी अथवा	
				सीधी भर्ती के सर्वे अधिकारी	
				के पद से की जाएगी).''	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्र. एफ. 1(ए) 12-2010-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(ए)12-2010-ए-सोलह, दिनांक 1 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

#### Bhopal, the 3rd July 2013

No. F 1(A)12-2010-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Labour (Gazetted) Services Rules, 1985, namely:—

### **AMENDMENT**

In the said rules, in Schedule II, in column (2) for item number 4 and entries relating thereto, the following item and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of the Department  (1)	Name of the Service (2)	No. of total posts	Percentage of post to be filled		By temporary
			By direct recruitment [Rule 6 (a)]	By promotion of	transfer of the persons from other service [Rule 6 (c)] (6)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. S. KUMRE, Dy. Secy.